राजस्थान राज्य
मानव अधिकार आयोग
त्रैमासिक पत्रिका

A NEWS LETTER OF RAJASTHAN STATE HUMAN RIGHTS COMMISSION

वर्ष-5 अंक : तेरहवाँ वर्ष : 2009 वि.सं. : 2066 बिक्री के लिये नहीं

''अधिकारों के प्रति जागरूक रहो—कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहो''

अध्यक्ष—जस्टिस एन.के. जैन

राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के महत्वपूर्ण निर्णय एवं दिशा-निर्देश

(माह अप्रेल 2009 से जून 2009 तक)

1— परिवाद संख्या— 09/17/833 में आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम को आपस में समन्वय बनाते हुए कार्य करने के निर्देश दिए गये।

2— परिवाद संख्या— 09/16/832 में सदस्य सचिव, प्रदूषण नियंत्रण मण्डल जयपुर व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जयपुर नगर निगम को आपसी समन्वय बनाकर कार्य करने के निर्देश दिए गये।

3— परिवाद संख्या— 09/17/834 में आवारा पशुओं के कारण आये दिन सडक पर होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नगर निगम को प्रभावी कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

4— परिवाद संख्या— 09/17/16 में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा सर्च, सीज एवं गिरफ्तारी के समय प्रोसिजर फॉलो नहीं करने के सम्बन्ध में आयोग द्वारा सभी पुलिसकर्मियों से रूल ऑफ लॉ मेन्टन करने के लिए ऐसा प्रोसिजर फॉलो करने की अपेक्षा की गई।

5— परिवाद संख्या— 09/17/141 में नये एवं योग्य मतदाताओं का नाम मतदाता सूची में जुडवाने की कानूनी प्रकिया सुनिश्चित करने के सम्बन्ध में निर्वाचन विभाग से अपेक्षा की गई।

6— परिवाद संख्या— 09/17/1051 में भीषण गर्मी में भी छोटे स्कूली बच्चों का स्कूल समय नहीं बदलने, उनके बस्ते का बोझ कम नहीं करने, महंगी फीस के बावजूद स्कूल में पीने का स्वच्छ पानी और टॉयलेट जैसी मूलभूत सुविधाऐं उपलब्ध नहीं कराने आदि बातों के सम्बन्ध में पूर्व आदेश की निरन्तरता में प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

7— परिवाद संख्या— 08/17/3471 में जिला कलेक्टर, जयपुर को ईट भट्टा मजदूरों के हितों को ध्यान में रखते हुए माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार कार्य करने के निर्देश दिए गये।

8— परिवाद संख्या— 08/17/1669 में डाक्टर्स द्वारा अधिक फीस वसूलने, रसीद नहीं देने और अभद्र व्यवहार करने के सम्बन्ध में प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को कानूनसम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

9— परिवाद संख्या— 09/17/210 में महानिदेशक, कारागार को केन्द्रीय कारागृह, जयपुर में बंदियों के साथ मारपीट होने और जेल में सुरक्षा से सम्बन्धित कानूनसम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

10– परिवाद संख्या– 08/17/1312 में एक वृद्व दम्पत्ति को उसी के पुत्र–पुत्रवधु द्वारा परेशान करने के सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक, जयपुर पूर्व को नियमानुसार कानूनसम्मत कार्यवाही करने के निर्देश दिए गये।

11– परिवाद संख्या– 09/17/278 में पुलिस अधीक्षक से अपेक्षा की गई कि वे मामले में तत्परता लाकर गुमशुदा का तलाश का हर संभव प्रयास करेंगे।

12– परिवाद संख्या– 09/17/700 व परिवाद संख्या– 09/17/1003 में परिवादी को हैरान परेशान करने पर गैर सायलान को धारा– 107/116 दं0प्र0सं0 में पाबन्द कर आयोग को सूचित किया गया।

13– परिवाद संख्या– 09/17/624 में पुलिस अधीक्षक जयपुर (उत्तर) जयपुर द्वारा परिवादिया को बिजली मुहैया कराने का माकूल इन्तजाम कर आयोग को सूचित किया गया।

14– परिवाद संख्या– 09/17/1408 में सरपंच द्वारा नियमानुसार कार्य नहीं किए जाने पर जिला कलेक्टर को अतिक्रमण के सम्बन्ध में कानूनसम्मत कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया।

15– परिवाद संख्या– 03/17/2212 में आयोग के आदेशों की अनुपालना में गृह विभाग ने परिवादी को नियमानुसार आर्थिक सहायता की स्वीकृति जारी कर आयोग को सूचित किया।

16– परिवाद संख्या– 09/17/2195 में प्रदूषण के एक मामले में आयोग के निर्देशानुसार नगर निगम ने बूचडखाने की बाउण्ड्रीवॉल बनाकर और दुर्गन्धनाशक दवा का इन्तजाम कर आयोग को सूचित किया गया।

17– परिवाद संख्या– 09/17/1220 में बिना मान्यता प्राप्त कॉलेज में हो रही पढाई के सम्बन्ध में कॉलेज प्रशासन, राज्य सरकार व राजस्थान स्वास्थ्य विश्वविद्यालय की संवेदनशीलता को देखते हुए सचिव मानव संसाधन विभाग, केन्द्रीय सरकार, नई दिल्ली को सूचित किया गया।

18– परिवाद संख्या– 08/17/3354 में आयोग के निर्देशानुसार नगर निगम ने कचरे के ट्रांस्फर स्टेशन पर कीटनाशक आदि का छिडकाव करवा कर आयोग को सूचित किया।

19– परिवाद संख्या– 08/06/3222 में आयोग के निर्देशानुसार विद्युत निगम द्वारा परिवादी को क्षतिपूर्ति के 5,16,572/– रूपये स्वीकृत किए जाकर सूचित किया गया।

20– परिवाद संख्या– 08/09/3836 में पुलिस थाना– नैनंवा के अपचारी पुलिसकर्मी को आयोग के निर्देशानुसार 17 सी0सी.ए0 की कार्यवाही में परिनिन्दा के दण्ड से दंडित कर सूचित किया गया।

21– परिवाद संख्या– 08/21/3987 में आयोग के निर्देशानुसार रिटायर्ड कर्मचारी को छठे वेतन आयोग के अनुसार पेंशन का निर्धारण कर आयोग को सूचित किया गया।

22– परिवाद संख्या– 09/05/224 में परिवादी को पेंशन परिलाभों व पेंशन का भुगतान करवाया जाकर आयोग को सूचित किया गया।

23– परिवाद संख्या– 08/22/2579 में नगर विकास न्यास द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करते हुए परिवादी को भूखण्ड आबंटन का निर्णय लिया जाकर सूचित कि गया।

विभिन्न शैक्षेणिक संस्थाओं/एन.जी.ओ. द्वारा आयोजित मानव अधिकारों की जागरूकता के विभिन्न कार्यक्रमों में आयोग के माननीय अध्यक्ष द्वारा शिरकत करने के साथ–साथ मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता बाबत् चर्चा

की गई, जिनमें से कुछ निम्नांकित है :–

1. दिनांक– 08 अप्रेल 2009 *रेयान इन्टरनेशनल स्कूल* के Montessori Graduation Ceremony 2009 में माननीय मंत्री महोदय श्री अशोक बैरवा, मेयर पंजक जोशी, मिसेज अर्चना गुप्ता, अध्यापकगण, छात्र–छात्राओं, अभिभावकों आदि के साथ।

2. दिनांक 26 अप्रेल 2009 को *जयपुर पब्लिक स्कूल* द्वारा आयोजित सांस्कृतिक संध्या शकुन' में सर्वश्री कर्नल एन0के0शर्मा (रिटायर्ड)– डायरेक्टर, जी0के0 सिद्वा 'प्रज्ञ' –सचिव, डा0 जयश्री' प्रिंसिपल, डागा साहब, गौड साहब, गुप्ता जी, डॉ. शशि, छात्र–छात्राओं, अभिभावकों आदि के साथ।

3. दिनांक 14 से 16 मई 2009 को भरतपुर–श्रीमहावीरजी यात्रा के दौरान श्री विश्वेश कुमार– जेल सुपरीटेंडेंट (भरतपुर) व समाज कल्याण अधिकारी–भरतपुर के साथ।

4. दिनांक 7/6/2009 को दिगम्बर जैन सोशल ग्रुप फैडरेशन के कार्यक्रम व घेरलू हिंसा की समन्वय समिति, पोस्टर विमोचन में श्री महेन्द्र पाटनी, श्री सुरेन्द्र कुमार, श्रीनवीन सैन व सदस्यों के साथ।

5. दिनांक 15/6/2009 को इण्डियन जेरोन्टोजिकल एसोसिएशन द्वारा बुजुर्ग उत्पीड़न दिवस पर जन जागरूकता कार्यक्रम में माननीय मंत्री श्री रामकिशोर सैनी, श्री राजाराम मील, श्री सत्यनारायण सिंह, डॉ भटनागर, सचिव के.एल. शर्मा, गणमान्य वरिष्ठ नागरिक व एसोसिएशन के सदस्य आदि के साथ।

6. दिनांक 21/6/2009 को मुनि श्री विनय कुमार आलोक के सानिन्ध्य में आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी के 90 वें जन्म कल्याण दिवस पर डॉ. एन.के.जैन, श्री विरेन्द्र बेनीवाल, मुख्य सचेतक, श्री आर.पी.जैन, जस्टिस ईसरानी, जस्टिस चोपडा, जस्टिस पानाचन्द जैन, श्री चन्दनमल बैद, अध्यक्ष श्री बच्छराम नाहटा, श्री हिम्मत सिंह छाजेड़ व श्रेष्ठीजन आदि के साथ।

7. दिनांक 26/6/2009 को Fifth International Summer School for Jain Studies Centre में USA, Canada, U.K., Belgium, Spain, Swizerland से पधारे प्रतिभागी Drs., Professor and Research Scholars, व निदेशक, उपनिदेशक डॉ. सुगन चन्द जैन व डॉ. कमल चन्द सौगानी आदि के साथ।

<u>आयोग द्वारा किए गये निरीक्षण</u> :–

श्री पुखराज सीरवी, माननीय सदस्य ने दिनांक 30.05. 009 को थाना– थावला (जिला नागौर) व दिनांक– 29.06.09 को थाना– मारवाड जंक्शन का आकस्मिक निरीक्षण कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गये ।

दिनांक– 11.6.2009 क`आई0 जी0 (पुलिस) द्वारा पुलिस थाना– नोखा जिला–बीकानेर का आकस्मिक निरीक्षण कर आवश्यक सुधार के निर्देश दिए गये ।

दिनांक – 27 व 28 जून 2009 को जस्टिस जगत सिंह, माननीय सदस्य द्वारा सेन्ट्रल जेल, बीकानेर का आकस्मिक निरीक्षण कर आवश्यक सुधार व मोनिटरिंग के निर्देश दिए।

माह–अप्रेल 2009 से जून 2009 के त्रैमास में आयोग के माननीय अध्यक्ष महोदय जस्टिस एन0के0 जैन के निर्देशन में डा0 राम मनोहर लोहिया एन0एल0यू0 लखनउ के 4,राजीव गांधी एन0एल0यू0 पटियाला के 4, के0आई0आई0टी0 भुवनेश्वर के 3, भारतीय विद्यापीठ पूणे के 3,आई0सी0एफ0ए0आई लॉ कॉलेज देहरादून के 3,चाणक्य एन0एल0यू0 के 2,जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी,एमिटी यूनिवर्सिटी देहली एनसीआर, व निरमा यूनिवर्सिटी अहमदाबाद के 1–1 *कुल 22 छात्र–छात्राओं ने* इन्टर्नशिप पूर्ण कर *14 Power Point Projects* महिलाओं, दलितों, बच्चों के मानवाधिकार, गिरफ्तारी, पर्यावरण, एच0आई0वी0 एड्स, कैंसर, बाल श्रम, बाल–अपचारिता, आयोग की गतिविधियां, घरेलू हिंसा, आर्टिकल–51ए आदि विषयों पर आयोग के समक्ष पेश किए। जो आयोग की वेबसाईट <u>www.rshrc.nic.in</u> पर भी उपलब्ध है। इसके अलावा 8 प्रोजेक्ट्स *word file* में तैयार कर पेश

किए गये। उक्त संस्थानों के प्रमुखों को माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देशानुसार पत्र लिखकर छात्रों के कार्यों की सराहना करते हुए इन प्रोजेक्ट्स को अपने कॉलेज/यूनिवर्सिटी व अन्य जगहों पर प्रदर्शित करने की अपेक्षा की गई, जिससे आमजन में मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता आये और इसका प्रचार–प्रसार हो। आयोग द्वारा उक्त प्रोजेक्ट्स की कन्सोलिटेड पी0पी0टी0 कॉपी करवा कर विभिन्न स्कूलों, शैक्षेणिक संस्थानों एवं एन0जी0ओ0 को जनजागरूकता कार्यक्रम के तहत् भिजवाई जा रही है।

मानवाधिकारों से सम्बन्धित विषय सामग्री (बुकलेट्स) का जनहित में प्रकाशनः–

1– श्रीमती ललिता देवी रामचन्द्र कासलीवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर

2– श्री दिगम्बर जैन (नसियां उदयलाल) ट्रस्ट, जयपुर ने आयोग द्वारा प्रकाशित कुछ पुस्तकों का विधिक साक्षरता व जागरूकता कार्यक्रम के तहत् पुनः प्रकाशन करवाया।

आर्टिकल– 51–ए में निहित कर्तव्यों की जागरूकता कार्यक्रम

मानवाधिकारों के प्रति जागरूकता के साथ–साथ आमजन में कर्तव्यों के प्रति समर्पित रहने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा भारतीय *संविधान के आर्टिकल–51ए* की मंशा के अनुरूप संकल्प के लिए शुरू की गई मुहिम के तहत् विभिन्न स्कूलों व संस्थाओं द्वारा सुबह की प्रार्थना के समय संकल्प दोहराया जा रहा है। अन्य कई स्वंय सेवी संस्थाओं द्वारा अपने कार्यक्रमों के साथ *आर्टिकल– 51ए* का प्रचार–प्रसार कर रहे हैं। जिनमें से पूर्व में करीब 55 संस्थाओं ने आयोग को इस संकल्प के प्रचार–प्रसार की सूचना दी है, जो प्रशंसनीय है। इनके अलावा इस त्रैमास में भी विभिन्न महानुभावों व संस्थाओं ने उनके सौजन्य से आर्टिकल–51ए का प्रारूप छपवा कर वितरित किया व कुछ संस्थाओं ने संकल्प को दोहराने की जानकारी आयोग को दी। जिनमें से कुछ निम्न है :–

1– जयपुर थियोसोफिकल लॉज, जयपुर
2– डा0 बी0 लाल क्लिनिकल लेबारेटरीज, जयपुर
3– कन्ज्यूमर यूनिटी एण्ड ट्रस्ट सोसायटी, जयपुर
4– Zunitech Consulting Pvt. Ltd. Banglore/ Delhi
5– राजधानी होटल/ राजधानी हास्पीटल, जयपुर
6– श्रीमति ललिता देवी रामचन्द्र कासलीवाल चेरिटेबल ट्रस्ट, जयपुर
7– धामू एण्ड कम्पनी, जयपुर
8– विमुक्ति संस्थान, जयपुर
9– भारतीय दिगम्बर तीर्थ क्षैत्र कमेटी, मुम्बई
10– श्री देश दीपक, सचिव, लोकायुक्त सचिवालय, हिमाचल प्रदेश
11. जयपुर नगर निगम
12– अखिल भारतीय पल्लीवाल जैन महासभा पत्रिका, मथुरा में प्रकाशन

राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग के सम्मुख दिनांक 31.3.2008 को 1042 प्रकरण शेष थे। नये परिवाद 854 आये तथा नये व पुराने कुल 904 प्रकरणों का निस्तारण करने के बाद आयोग के सम्मुख दिनांक 1.7.2009 को 992 प्रकरण शेष रहे।

प्रेस एवं मिडिया के सकारात्मक रवैये के लिए धन्यवाद व नागारिकों के मानव अधिकार के संरक्षण व कर्तव्यों के प्रति पब्लिक अवेयरनेस में और अधिक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की अपेक्षा के साथ।

अध्यक्ष- न्यायमूर्ति श्री एन.के. जैन, **सदस्यगण-** जस्टिस जगत सिंह, श्री डी.एस. मीणा एवं श्री पुखराज सिरवी, **सचिव एन.आर. यादव,** महानिरीक्षक पुलिस-के. नरसिम्हाराव, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, एस.एस.ओ. बिल्डिंग, सचिवालय, जयपुर द्वारा प्रकाशित एवं राजस्थान राज्य सहकारी मुद्रणालय लि., जयपुर द्वारा मुद्रित।
सम्पादक : उप-सचिव, राजस्थान राज्य मानव अधिकार आयोग, जयपुर।
E-mail : rshrc@raj.nic.in **Website :** www.rshrc.nic.in **Fax :** 0141-2227738 **Tel. :** 2227183

Book Post